

# फर्द अहकाम

भोसपकात्र बनाम अशोक कर्जे.

मालय

दिनांक 03/19

पत्थरगढी

2019/00105

क्रमांक आला या कार्यवाही	आला विस्तृत रूप से	विरोध विवरण
06/01/20	<p>त. डावी अणु / अप्राथीगण बावपुद तपली अनुमति। मतः एके विस्तृत पक्षी-रूपिता अणुत मे लयी जाती है। प्राथीगण के अधिवक्ता की सुना जमा। प्राथीगण ने धर्मनाका बावत पत्थरगढी का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वार्डें ग्राम पीगसिया, पत्थर हल्का तिगसिया, गू अणि वि वेजरीली में स्थित ग्राम ख. नं. 2434 रकबा 0.46 हे०, कुल जित। का कुल रकबा 0.46 हे० ग्राम स्थित है जो समूची ही प्राथीगण एवं अप्राथीगण संख्या गता 36 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है एवं डावी की ग्राम के लयाव नरो दिगाओं में अप्राथीगण संख्या 1 ता 20 की ग्राम ख. नं. 2490, 2491, 2492, 2493, 2495 की ग्रामों स्थित है।</p> <p>प्राथीगण की ग्राम खसरा नं. 2434 का सीमाक्षान भीमम् तस्मीनकाट महोक नोचुं के आदेश क्रमांक 317 दिनांक 16/06/2008 की अनुपपन्न में पत्थरी हल्का डुरा दिनांक 19/07/2008 के मौके पर फर्दकर उपस्थित व्यक्तीओं के समक्ष गैर मुठ नाह ख. नं. 2481, 2533, 2531, की मुतकिल विन्दु मानकर जानं उरुके निशामाल कल्पन किने गये। खातेकाट एवं पौसी खातेदारों की उपस्थिती में ख. नं. 2434 की सीमाक्षानों का सीमाक्षान किया गया। जिस सिमाक्षान रिपोर्ट दिनांक 19/07/2008 के आधार पर प्राथीगण खातेदारी ग्राम की पत्थरगढी कषाता नाहते है।</p>	

उपस्थित सरकारी  
चौधरी

नाम न्यायालय  
केस संख्या

बनाम

बनाम

क्रम संख्या	दिनांक आहवा या कार्यवाही	आहवा विस्तृत रूप से
		<p>उक्त पत्र भय समय का प्रस्ताव कर प्रार्थना के निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि का 2494 का सिमापत्र निर्धारित के अनुसार पत्थरगोठ बनाने जाने के आदेश जमाने की कृपा करें।</p> <p>प्रार्थनी का अर्जोक्त किया गया। प्रार्थी भावेद्वि भाषी के रिपोर्ट करवाकर है। निमन्त्रणात प्रार्थक स्वतंत्र हो अपनी स्वतंत्ररी कृषि भूमि की पत्थरगोठ बनाने का कानून एक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी द्वारा अपनी स्वतंत्ररी कृषि का सीमापत्र तस्मीलदार चौम के आदेश से दिनांक 19/07/2008 को पत्थरी हल्का पुरा करवाया जा चुका है। निधना प्रार्थी का उक्त पत्र पत्थरगोठ स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः प्रार्थी का उक्त पत्र का शर्त पत्थरगोठ का स्वीकार किया जाकर तस्मीलदार चौम को आदेश दिया जाता है कि यदि किसी न्यायालय का स्वजन आदेश नहीं है तथा मोठे पर जमान न ही तो सीमापत्र दिनांक 19/07/2008 के अनुसार</p>

लय

क आहवा या कार्यवाही

आहवा विस्तृत रूप से

उक्त पत्र भय समय का प्रस्ताव कर प्रार्थना के निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि का 2494 का सिमापत्र निर्धारित के अनुसार पत्थरगोठ बनाने जाने के आदेश जमाने की कृपा करें।


बोध

# फर्द अहकाम

बनाम

यालय

श्या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>उज्जयिणी में सुनीत कृती दुल पत्नी की सुनीत कृती सुनीत करी। तस्वीर जारी है। पत्रावली जैसल दुआर हेकर फर्द नम्बर से कम है तथा फाइल दफ्तर है।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी चौम, जिला जयपुर</p>	

